

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

**कार्मिक अनुभाग-2**

लखनऊ, दिनांक: 03 अगस्त, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018" की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,  
मुकुल सिंहल  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या- 3/2018/18/1/2008(1)-का-2/2018-तद्विनांक।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- 3) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 9) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
- 11) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न अध्यादेश की 1,000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
- 12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-2, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 23 जुलाई, 2018  
श्रावण 1, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1449/79-वि-1-18-2(क)11-2018  
लखनऊ, 23 जुलाई, 2018

अधिसूचना  
विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018**  
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018)

[भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है, कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम  
संख्या 4 सन् 1993  
की धारा 2 का  
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ड.) शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करे, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत, खण्ड (घ) और (ड.) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ड.) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है;"

अनुसूची का बढ़ाया  
जाना

4-मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में बढ़ा दी जायेगी।

अनुसूची

धारा 2 का खंड (ड.) देखें

विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता

1-शारीरिक निःशक्तता:-

क-चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: (क) "कुष्ठ उपचारित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है -

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का हास के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना का हास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(दो) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(तीन) अत्यन्त शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद "कुष्ठ व्यक्ति" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्क घात" का तात्पर्य अविकासशील तन्त्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारण: जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है;

(ग) "बौनापन" का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) "पेशी दुष्पोषण" का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियां और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(ड.) "अम्ल आक्रमण पीड़ित" का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित किसी व्यक्ति से है;

ख- दृष्टि हास -

(क) "अंधता" का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहाँ सर्वोत्तम सुधार के पश्चात किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात् -

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग-"श्रवण शक्ति का हास"-

(क) "बधिर" का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य हास वाले व्यक्तियों से है;

(ख) "ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति" का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य हास्य वाले व्यक्ति से है;

घ-"अभिवाक् और भाषा निःशक्तता" का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उदभूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2-"बौद्धिक निःशक्तता" ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है:-

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता" का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित हैं यथा- बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित हैं;

(ख) "स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार" का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3-मानसिक व्यवहार-"मानसिक रूग्णता" का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4-निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे-

(एक) "बहु-स्केलेरोसिस" का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(दो) "पार्किंसन रोग" का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बंधित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के हास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

(एक) "हेमोफीलिया" का तात्पर्य किसी आनुवंशिकीय रोग से है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(दो) "थैलेसीमिया" का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) "सिक्कल कोशिका रोग" का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यन्त कमी, पीड़ादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है;

स्पष्टीकरण- "हेमोलेटिक", लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5-बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निशक्तता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

6-कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

राम नाईक,  
राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 1449(2)/LXXIX-V-1-18-2(ka)11-2018

*Dated Lucknow, July 23, 2018*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhotpurva Sainikon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 11 of 2018) promulgated by the Governor:-

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDANTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2018

(U.P. Ordinance No. 11 of 2018)

(Promulgated by the Governor in the Sixty - ninth Year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2018. Short title

Amendment of  
section 2 of U.P. Act  
no. 4 of 1993

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 hereinafter referred to as the principal Act, for clause (e) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(e) Physical disability means the disabilities as specified in the Schedule appended to this Act."

Amendment of  
section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (ii) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(ii) In such public services and posts as the State Government may, by notification, identify not less than four percent, of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one percent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:—

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities."

Insertion of  
Schedule

4. In the principal Act, the following Schedule shall be inserted at the end.

#### The Schedule

[see clause (e) of section 2]

Specified Physical Disability

##### 1. Physical disability:-

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly.

(b) "cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

**B. Visual impairment—**

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

- (i) total absence of sight; or
- (ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
- (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

- (i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
- (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

**C. Hearing impairment—**

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "Speech and Language Disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

**3. Mental behaviour,—**

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

**4. Disability caused due to—**

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.



## (b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amount of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage;

Explanation: "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the State Government.

RAM NAIK,  
Governor,  
Uttar Pradesh.

By order,  
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 163 राजपत्र-2018-(400)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 16 सा० विधायी-2018-(401)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।